53

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

पुनरीक्षण क्र. R 274 - I - 17

1. श्रीमति भागवती पत्नि श्री हरप्रसाद यादव
2. जगभान सिंह तनय हरप्रसाद यादव
3. हरप्रसाद तनय रामकिशन यादव समस्त निवासी ग्राम कुमरउ खिरिया तह. वजिला टीकमगढ म.प्र

..पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

म०प्र० शासन

.. अनावेदक

श्री .... द्वारा आज दि. 20-1-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 20.1.17
राजस्व मण्डल म.प्र.

पुनरीक्षण प्रस्तुत न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ के प्र०क्र०121/बी121/2016-17में पारित आदेश दिनांक 2/1/2017के विरुद्ध अंतर्गत धारा 50म०प्र०भू०रा०सं०1959

महोदय,

पुनरीक्षणकर्ता की विनय सादर प्रस्तुत है:

आश आशय का यह कि पुनरीक्षणकर्ता ने दिनांक 2/1/2009 को एक आवेदन इस कलेक्टर महोदय टीकमगढ को अदला बदली हेतु प्रस्तुत किया था जो कलेक्टर द्वारा परीक्षण न्यायालय नायब तहसीलदार समर्रा को जाँच हेतु प्रतिप्रेषित किया था कि पुनरीक्षणकर्ता एवं/ आवेदकगण की स्वामित्व की भूमि ख.न.372/1क रकवा 1.618हे०काअंश रकवा0.303हे0 तथा भूमि ख.न.371/1ग का रकवा 2.461हे0 का अंशभाग 0.405हे0 रकवा प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत सड़क मे लिया गया इसके बदले मे पुनरीक्षणकर्ता/ आवेदक ने शासकीय गौचर ख.न.149/2अ केअंश रकवा0.303हे0 एवं ख.न.00 146 रकवा 2.411हे0 केअंशरकवा0.405हे0 की अदला बदली चाही गयी थी उक्त प्रकरण मे अनुविभागीय अधिकारी नेनायब तहसीलदार से प्रकरण प्राप्त होने पर प्रकरणअनुशंसासहित दिनांक 10/9/2009 को अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ को को भेजा गया था कलेक्टर टीकमगढ ने उक्त प्रकरण मे दोनो भूमियो की कीमत की जानकारी उप पंजीयक से लेने के संबंध में तथा अदला बदली मे किसी एक पक्ष को हानि तो नहीहै स संबंध मे पुन: प्रकरण परीक्षण न्यायालय 0 नायब तहसीलदार को भेजागया था जिसमे पूर्ण रूप से जाँच पड़ताल होने के पश्चात दिनांक 7/7/2012 को परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण को अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ को प्रस्तुत कियाथा और अपने प्रतिवेदन मे यह भी लेख किया थाकि उप पंजीयककी रिपोर्ट के आधार पर आवेदक की भूमि की बाजारू कीमत 88,000रूपये अधिक हैपरीक्षण न्यायालयके प्रतिवेदन पर

(53)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-274-एक/2017 जिला टीकमगढ़ भागवती विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित । आवेदक के द्वारा कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 121/बी121/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 02-01-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 20-01-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित	

07/01/2019

किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 7.1.19
सदस्य